CODE NO.

Not to be filled by the Candidate

(अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाये)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

महत्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
2. "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर / टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा प्रश्न के उत्तर से असम्बधित कोई भी शब्द, वाक्य एवं अंक लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के तहत दाण्डिक कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
4. प्रश्नों की संख्या और उनके अंक "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में अंकित किये गये हैं।
5. प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी उत्तर निर्धारित जगह में हीं लिखें। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
7. फ्लेप पर **"उत्तर के माध्यम"** के चौखाने में भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक विकल्प को ✓ द्वारा चिन्हित करें तथा उत्तर उसी चयनित भाषा में दीजिये।
8. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
9. यदि "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी–फटी या अमुद्रित है, तो शीघ्रताशीघ्र वीक्षक से कह कर उसे बदलवा लें या वीक्षक के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

* * * * *

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Book"; and not at any other place.
2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992.
4. The number of questions and their marks are indicated in the "Question Paper-cum-Answer Book".
5. The answers of the questions should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
6. The candidate should write the answers in the provided space. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
7. Specify an option of language Hindi or English, by ticking ✓ in box of **"Medium of Answer"** on the flap and answer in the same opted language.
8. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
9. In case the "Question Paper-cum-Answer Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidates will be liable for that.
10. Possession of any type of electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

Note: Attempt all questions. Marks of each question are mentioned against the question.

नोटः समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके समक्ष अंकित किये गये हैं।

Question No.1 **[2 Marks]**

A person, who creates resistance in execution of a decree, what remedies are available to decree holder against such person?

प्रश्न संख्या 1

एक व्यक्ति, जो डिक्री के निष्पादन में अवरोध उत्पन्न करता है, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध डिक्रीदार को क्या उपचार उपलब्ध हैं ?

Question No.2 **[2 Marks]**

Explain the circumstances, in which subsequent pleading (rejoinder) may be filed. Is there any limitation provided in law for filing subsequent pleading?

प्रश्न संख्या 2

उन परिस्थितियों को स्पष्ट करें जिनमें पश्चात्वर्ती अभिवचन (जवाब–उल–जवाब) प्रस्तुत किये जा सकते हैं। क्या पश्चात्वर्ती अभिवचनों को प्रस्तुत करने हेतु विधि में कोई परिसीमा प्रावधानित की गई है?

Question No.3 **[2 Marks]**

Under the provisions of Specific Relief Act, 1963, what remedies are available to a person dispossessed from the immovable property, Explain.

प्रश्न संख्या 3

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत, स्थावर सम्पत्ति से बेकब्जा किये गये व्यक्ति को क्या उपचार उपलब्ध हैं, स्पष्ट कीजिये।

Question No.4 **[3 Marks]**

Describe the pre-requisites for filing suit against the municipality or its officers under the Rajasthan Municipality Act, 2009.

प्रश्न संख्या 4

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत नगर पालिका अथवा उसके अधिकारियों के विरूद्ध वाद संस्थित करने हेतु पूर्व–अपेक्षाएं वर्णित कीजिये।

Question No.5 **[3 Marks]**

Explain the prohibitions imposed on Civil Courts under section 305 of the Rajasthan Municipality Act, 2009.

प्रश्न संख्या 5

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 305 के अन्तर्गत सिविल न्यायालयों पर अधिरोपित वर्जनाओं को स्पष्ट कीजिये।

Question No.6 **[3 Marks]**

Identify the kind of following easement:

a. A right of way annexed to "A's house over "B's land.

b. A right annexed to "A's house to prevent "B" from building on his own land.

c. A right annexed to "B's house to receive light by the windows without obstructions by his neighbor "A".

प्रश्न संख्या 6

निम्नलिखित सुखाचार के प्रकार को बताइये :

अ. B की भूमि पर A के गृह से संलग्न मार्गाधिकार।

ब. B को उसकी भूमि पर निर्माण करने से रोकने के लिये A के गृह से संलग्न एक अधिकार।

स. पड़ौसी A द्वारा बाधा डाले बिना खिड़कियों से प्रकाश प्राप्त करने का B के गृह से संलग्न एक अधिकार।

Question No.7 **[3 Marks]**

Hindu male "A", to enter into marriage with a Hindu female "B" on 10.03.2017. "C", a Christian lady, files a suit for permanent injunction to restrain "A" from said marriage, on the ground that "A" had already married with "C" on 22.08.2016 in a temple as per the Hindu rituals. As she is a legally wedded so "A" has no right to marry again.

Whether, "C" is entitled to get injunction? Give answer applying relevant provisions of Hindu Marriage Act, 1955.

प्रश्न संख्या 7

एक हिन्दू पुरूष "A", एक हिन्दू महिला "B" के साथ दिनांक 10.03.2017 को विवाह करने वाला है। "C" एक ईसाई महिला, "A" को उक्त विवाह करने से रोकने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का वाद इस आधार पर प्रस्तुत करती है कि "A" पूर्व में ही दिनांक 22.08.2016 को मन्दिर में हिन्दू रीति रिवाजों से "C" के साथ विवाह कर चुका है। चूंकि, वह वैध विवाहिता है, अतः "A" को पुनः विवाह करने का अधिकार नहीं है।

क्या "C" व्यादेश प्राप्ति की अधिकारिणी है ? हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के सुसंगत प्रावधानों को प्रयुक्त करते हुए उत्तर दीजिये।

Question No.8 **[4 Marks]**

What is "Privileged Communication" under Indian Evidence Act? Describe its kinds, in brief.

प्रश्न संख्या 8

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत "विशेषाधिकृत संसूचनाएं" क्या है? इसके प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिये।

Question No.9 **[4 Marks]** ☐

Section 45 and 73 of Indian Evidence Act are complementary to each other. Discuss.

प्रश्न संख्या 9

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 और 73 एक दूसरे की संपूरक हैं। विवेचना कीजिये।

Question No.10 **[4 Marks]** ☐

Distinguish "Invalid Decree" and "Void Decree". Whether a void decree can be challenged in collateral proceedings, explain.

प्रश्न संख्या 10

"अवैध डिक्री" और "शून्य डिक्री" को विभेदित कीजिये। क्या एक शून्य डिक्री को संपार्श्विक कार्यवाहियों में चुनौती दी जा सकती है, स्पष्ट कीजिये।

Question No.11 **[4 Marks]** ☐

"A" filed a criminal Complaint against "B" for robbery. "A" and "B" enter in to an agreement whereby, "A" agrees to withdraw the prosecution on "B's promise to give value of the stolen property.

Is this agreement enforceable? Answer with reasons.

प्रश्न संख्या 11

"A" ने "B" के विरूद्ध लूट कारित करने का आपराधिक परिवाद प्रस्तुत किया। "A" और "B" एक अनुबंध करते हैं जिसमें "A", "B" के इस वादे पर कि वह उसकी लूटी हुई सम्पत्ति का मूल्य दे देगा, अभियोजन को वापस लेने को सहमत होता है।

क्या यह अनुबंध प्रवर्तनीय है? कारण सहित उत्तर दीजिये।

Question No.12 **[4 Marks]** ☐

After retirement of a partner, a partnership firm took loan from bank and failed to repay it. The bank filed recovery suit wherein the retired partner was also impleaded as one of the defendants. The bank stated, that retirement of the partner was not disclosed to the bank and impression was given that he continues to be a partner.

The defence of the retire partner was that since, he had retired, could not be made liable and there was no basis for the bank to presume that he continued to be a partner. He did not sign any document when loan was advanced to the firm.

Whether the retired partner would be liable? Decide in the light of the provisions of the Indian Partnership Act.

प्रश्न संख्या 12

एक भागीदार फर्म ने अपने एक भागीदार की सेवानिवृत्ति के पश्चात् बैंक से ऋण लिया और ऋण को चुकाने में असफल रही। बैंक ने वसूली हेतु वाद दायर किया जिसमें अन्य प्रतिवादीगण के साथ सेवानिवृत्त भागीदार को भी संयोजित किया। बैंक ने यह कहा कि, भागीदार के सेवानिवृत्ति का तथ्य बैंक के समक्ष प्रकट नहीं किया गया और यह जताया गया कि वह अभी भी भागीदार है।

सेवानिवृत्त भागीदार का बचाव यह था कि चूंकि, वह सेवानिवृत्त हो चुका था अतः उसे दायी नहीं बनाया जा सकता है और बैंक के पास यह उपधारित करने का कोई आधार नहीं था कि वह भागीदार के रूप में कार्यरत् था। फर्म को ऋण प्रदान करने के समय उसने कोई भी दस्तावेज हस्ताक्षरित नहीं किये थे।

क्या, उक्त सेवानिवृत्त भागीदार दायी होगा? भारतीय भागीदारी अधिनियम के प्रावधानों के प्रकाश में निर्णित कीजिये।

Question No.13 **[4 Marks]**

Distinguish the forms of marriage “BATIL” and “FASID” under Muslim Law.

प्रश्न संख्या 13

मुस्लिम विधि के अन्तर्गत विवाह के रूपों, ''बातिल'' और ''फासिद'' को विभेदित कीजिये।

Question No.14 **[4 Marks]**

A woman, during her live-in-relationship with a man, subjected to Domestic Violence. Can such woman get remedy under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005?

Answer with support of judgment of Hon'ble Supreme Court.

प्रश्न संख्या 14

एक महिला, जो किसी पुरूष के साथ अपनी लिव–इन–रिलेशनशिप के दौरान, घरेलू हिंसा के अधीन रही है । क्या ऐसी महिला, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उपचार प्राप्त कर सकती है ?

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से समर्थित करते हुए उत्तर दीजिये।

Question No.15 **[4 Marks]**

Define the followings under Rajasthan Stamps Act:

a. Leave and Licence

b. Sea Policy

प्रश्न संख्या 15

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के अन्तर्गत, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिये:

अ. इजाजत और अनुज्ञप्ति

ब. समुद्रीय पॉलिसी

Question No.16 **[4 Marks]** ☐

The plaintiff, on 15.07.2015 instituted a suit for recovery of money for price of goods sold to the defendant. It was pleaded that the goods were sold vide invoice dated 15.04.2012. The defendant had given a cheque on 06.05.2015 for the invoice amount. The said cheque was returned unpaid by bank on 13.05.2015.

The defendant filed written statement and raised preliminary objection that the suit is barred by Limitation. The Court framed preliminary issue of Law that "As to whether the suit is barred by Limitation"

Decide the issue with support of relevant law.

प्रश्न संख्या 16

वादी ने प्रतिवादी को बेचे गये माल के मूल्य की राशि की वसूली का वाद दिनांक 15.07.2015 को पेश किया। यह अभिवचन किया गया कि उक्त माल जरिये बिल दिनांक 15.04.2012 को बेचा गया था । प्रतिवादी ने बिल की राशि का चैक दिनांक 06.05.2015 को दिया था। उक्त चैक को बैंक द्वारा दिनांक 13.05.2015 को बिना भुगतान किये लौटा दिया।

प्रतिवादी ने लिखित कथन प्रस्तुत किया और प्रारम्भिक आपत्ति उठाई कि वाद परिसीमा से वर्जित है। न्यायालय ने विधि का प्रारम्भिक विवाद्यक यह विरचित किया कि "क्या वाद परिसीमा से वर्जित है"।

सुसंगत विधि से समर्थित करते हुए उक्त विवाद्यक निर्णित कीजिये।

Question No.17 **[4 Marks]** ☐

The application of the plaintiff under Order XXXIX rule 1 and 2 of the CPC, was rejected by the trial court on 10.01.2017. The plaintiff preferred an appeal against the order. However, the appeal was dismissed as withdrawn. The plaintiff, thereafter, applied to the trial court to review the rejection order dated 10.01.2017.

The defendant raised a preliminary objection that since, the appeal has been dismissed as withdrawn, hence, the review application is not maintainable.

Decide the preliminary objection.

प्रश्न संख्या 17

वादी के आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश XXXIX नियम 1 व 2 सिविल प्रक्रिया संहिता को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2017 को नामंजूर कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई, जो कि प्रत्याहरित करने के फलस्वरूप खारिज की गई। उसके पश्चात् वादी ने विचारण न्यायालय में, दिनांक 10.01.2017 के नामंजूरी आदेश को पुनर्विलोकित करने हेतु आवेदन किया।

प्रतिवादी ने प्रारम्भिक आपत्ति उठाई कि, चूंकि अपील, प्रत्याहरित करने के फलस्वरूप खारिज की जा चुकी है, अतः पुनर्विलोकन का यह आवेदन पत्र पोषणीय नहीं है।

उक्त प्रारम्भिक आपत्ति को निर्णित कीजिये।

Question No.18 **[4 Marks]**

A suit for eviction was filed by plaintiff along with all original documents against defendant on 10.01.2010. The defendant filed written statement on 12.01.2012 along with original lease deed dated 10.01.1986, issued by competent authority in favor of his grandfather. Issues were framed on 10.08.2014 and plaintiff concluded his evidence on 01.01.2016. During his evidence on 10.01.2017, the defendant exhibited the original lease deed. At the time of final argument, the defendant requested to draw presumption under section 90 of Evidence Act, with regard to original lease deed. Per contra, the plaintiff argued that since, on the dates of, filing of suit, filing of written statement and framing of issues, the document was not 30 years old, therefore, such presumption cannot be drawn under section 90.

Express your opinion with reason upon the arguments of both the parties.

प्रश्न संख्या 18

वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली का वाद दिनांक 10.01.2010 को मय समस्त मूल दस्तावेज के प्रस्तुत किया। प्रतिवादी ने दिनांक 12.01.2012 को लिखित कथन मय सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके दादा के पक्ष में जारी मूल पट्टा विलेख दिनांकित 10.01.1986 पेश किया। दिनांक 10.08.2014 को विवाद्यक विरचित किये गये तथा वादी ने अपनी साक्ष्य दिनांक 01.01.2016 को समाप्त की । प्रतिवादी ने दिनांक 10.01.2017 को अपनी साक्ष्य के दौरान मूल पट्टा विलेख को प्रदर्शित किया। बहस अंतिम के समय प्रतिवादी ने मूल पट्टा विलेख के बारे में धारा 90 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत उपधारणा किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत, वादी ने तर्क दिया कि दावा प्रस्तुत करने की या लिखित कथन प्रस्तुत करने की या विवाद्यक विरचित करने की, तिथियों तक यह दस्तावेज 30 वर्ष से पुरानी अवधि का नहीं था, अतः धारा 90 के अन्तर्गत ऐसी उपधारणा नहीं की जा सकती है।

उभय पक्ष के तर्कों पर कारण सहित अपना मत व्यक्त कीजिये।

Question No.19 **[4 Marks]**

On what basis, court fees shall be computed and payable in cases of suits for specific performance of contract under the provision of the Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961? Explain.

प्रश्न संख्या 19

राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अन्तर्गत संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के मामलों के वादों में न्यायालय शुल्क किस आधार पर संगणित किया जाकर संदेय होगा ? स्पष्ट कीजिये।

Question No.20 **[6 Marks]**

Doctrine of Part performance, provided in section 53-A of Transfer of Property Act, is a right as well as defence. Discuss.

प्रश्न संख्या 20

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 53-A में वर्णित आंशिक पालन का सिद्धान्त, अधिकार के साथ–साथ बचाव भी है। विवेचित कीजिये।

Question No.21 **[6 Marks]**

Stating "TALAK" three times, is a valid form of Divorce under Muslim Law? Discuss in the light of recent judgment of Hon'ble Apex Court.

प्रश्न संख्या 21

तीन बार "तलाक" कहना, क्या मुस्लिम विधि के अन्तर्गत विवाह विच्छेद का एक वैध रूप है ? माननीय उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के प्रकाश में विवेचित कीजिये।

Question No.22 **[6 Marks]**

Do you think that the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005, has removed the gender discrepancy and Hindu female have equal rights to property. Discuss.

प्रश्न संख्या 22

क्या आप मानते हैं कि हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने लिंग भेद को समाप्त कर दिया है और हिन्दू महिलाएं सम्पत्ति में समान अधिकार रखती हैं। विवेचित कीजिये।

Question No.23 **[6 Marks]**

In which lands, Khatedari rights shall not accrue under Rajasthan Tenancy Act, explain.

प्रश्न संख्या 23

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत किन भूमियों में खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होंगे, वर्णन कीजिये।

Question No.24 **[10 Marks]**

Write a reasoned judgment on the following facts:

Pleadings of the Suit

Plaintiff and defendant are familiar to each other. On 17.07.2014, for the sake of personal necessity, the defendant borrowed Rs. 187690/- from the plaintiff and agreed to return the money after one year with 20% annual rate of interest and accordingly a written agreement was executed. After stipulated period, despite demand, defendant did not return the principal amount and interest thereon. Plaintiff sought decree for Rs.

256115/- along with suit expenses and interest till realization of the amount.

Pleading of the Written Statement

The defendant categorically denied the pleadings in the plaint and also denied the execution of agreement. The defendant pleaded that the alleged borrowed amount is in odd figure. Ordinarily amount is not borrowed in odd figure. This fact itself makes claim highly doubtful. It is also pleaded that the defendant constructed the plaintiff's house and payment of which is still due towards the plaintiff. The plaintiff does not want to pay the due amount, therefore, he has filed false case against him. He prayed to dismiss the suit with heavy costs.

प्रश्न संख्या 24

निम्नलिखित तथ्यों पर एक तर्कसंगत निर्णय लिखिये:

वाद के अभिवचन

वादी व प्रतिवादी एक दूसरे के परिचित है। दिनांक 17.07.2014 को प्रतिवादी वादी से अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं हेतु 1,87,690/— रूपये उधार लेता है और सहमत होता है कि वह उक्त राशि एक वर्ष पश्चात् 20% वार्षिक ब्याज दर से लौटा देगा। तद्नुसार ही एक लिखित अनुबन्ध निष्पादित किया गया। प्राविहित अवधि के पश्चात्, मांगे जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी ने मूल ऋण और ब्याज की राशि प्रतिवादी को नहीं लौटाई। अंत में, रूपये 2,56,115/— मय वाद व्यय एवं अंतिम वसूली तक ब्याज दिलाये जाने हेतु वाद डिक्री किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

लिखित कथन के अभिवचन

प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से वाद के अभिवचनों से इंकार किया है एवं अनुबन्ध निष्पादन से भी इंकार किया है। प्रतिवादी ने यह अभिकथित किया है कि उधार देना बताई गई राशि विषम अंकों में है, सामान्यतः विषम अंकों में राशि उधार नहीं ली जाती है, यह तथ्य स्वमेव ही दावे को घोर संदेहास्पद बना देता है। यह भी अभिकथित किया गया है कि प्रतिवादी ने वादी के मकान का निर्माण किया था जिसका भुगतान अभी तक वादी के विरूद्ध बकाया है। वादी उक्त बकाया राशि को अदा नहीं करना चाहता है इसी कारण उसने यह मिथ्या वाद उसके विरूद्ध प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी द्वारा वाद को भारी हर्जे सहित खारिज करने का निवेदन किया गया।

****